



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक एफ 4 () आकाशि/नि.सं./2022 / 535

दिनांक 21.10.2022

सचिव/ प्राचार्य
निजी महाविद्यालय
राजस्थान

विषय:— निजी महाविद्यालय नीति अनुसार महाविद्यालय की वेबसाइट बनाने व निरन्तर अद्यतन करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 के बिन्दु 08 के अनुसार विद्यार्थी हित में समस्त निजी महाविद्यालयों को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट बनाना अनिवार्य है तथा वेबसाइट पर महाविद्यालय की आधारभूत संरचना, महाविद्यालय में संचालित संकाय, विषय, कक्षा वर्ग, विद्यार्थी फीस, राज्य सरकार का नवीन अनापत्ति प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय सम्बद्धता प्रमाण पत्र, शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ की सूची तथा विगत तीन सत्रों का विश्वविद्यालय का परीक्षा परिणाम आदि से सम्बन्धित सूचनाएं अपलोड करना आवश्यक है।

उक्त समस्त सूचनाएं विद्यार्थी हित में पूर्णतया सत्य व प्रमाणित होनी चाहिए। यदि किसी असत्य सूचना के वेबसाइट पर प्रदर्शन से किसी महाविद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत/वाद/सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत प्राप्त होती है तो इसके लिए संस्था पर की गयी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।


संयुक्त निदेशक (नि. सं.)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु
2. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (नि. सं.)